मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 23, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंड़िका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा :-

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1014/ म.प्र.वि.नि.आ. /2011, दिनांक 28 मार्च, 2011, तथा

(ii) क्रमांक 1807/ म.प्र.वि.नि.आ. /2011, दिनांक 8 जून, 2011,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल की अनुशंसाओं पर संबन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, विदिशा जिले में मृत व्यक्ति के नाम से भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य, इंदौर नगर में हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित मंदिरों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम लहार मिहोना, दबोह में विद्युत खम्भे व तार बदले जाने,

(ख) ग्राम मौ से वेहट तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम असवार से जैतपुरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम चौरई सेवड़ा मार्ग से असवार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(ङ) लहार में आई.टी.आई. भवन की मरम्मत एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(च) शासकीय महाविद्यालय लहार में स्टाफ की पदस्थापना किये जाने,

(छ) ग्राम जैतपुरामढ़ी से जगन्नाथपुरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ज) भाण्डेर मार्ग से बन्थरी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(2) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला समनापुर, चांगोटोला, लिंगा एवं हट्‌टा के भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम पंचायत लामटा लिंगा, परसवाड़ा, पीपरझरी, एवं चंदना में खेल मैदान निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम खोड़सिवनी, चांगोटोला, तिवड़ीकला, चीनी तथा मोतेगांव में आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,

(घ) शासकीय हाई स्कूल धनसुआ, शा.मा.शाला पीपरझरी, मगरदर्रा बसेगांव जरेरा का उन्नयन किये जाने,तथा

(ङ) ग्राम अरंडिया, भीड़ी सरेखा, खुरमुण्डी एवं जरेरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम गागोरनी हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने ,

(ख) ग्राम देवरी प्राथमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम घोघरपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) जावरा शहर के वार्ड-15 महावीर कालोनी में ट्यूबवेल खनन किये जाने,

(ख) जावरा शहर के वार्ड क्र.-9 रामबाग में ट्यूबवेल का खनन किये जाने, तथा

(ग) जावरा शहर के वार्ड क्र.-15 सागरमोती परिसर में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम सभागंज में हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम अमदरा के हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, रतलाम जिले के भीमाखेड़ी रेल्वे फाटक पर अण्डर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(7) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पहाड़ी के वैसाल राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6.वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

1 घन्टा (2) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 पर चर्चा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 13 जुलाई, 2011